न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

<u>पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.</u>

<u>पत्रावली संख्या : 17/2024 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002</u>

एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. (पूर्व नाम एयू फाईनेंसर्स (इण्डिया) लि.) रजि. कार्यालय 19–ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर–302001, राज. जरिये प्राधिकृत अधिकारी महिपाल सिंह पुत्र छीतरमल।

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **नेशनल ऐलुमिनियम जरिए प्रो. नरेन्द्र कुमार** निवासी एनएच 52 कंटेवा रोड़, मोहल्ला धिंगानिया वार्ड नं. 02, लक्ष्मणगढ़, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर–332311
2. **नरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र मुरलीधर शर्मा** निवासी पाटोदा, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर–332312
3. **हजारीलाल शर्मा पुत्र मुरलीधर शर्मा**, निवासी पाटोदा, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर–332312
4. **लोकेश कुमार शर्मा पुत्र सुशील कुमार शर्मा** निवासी कुशलपुरा, तहसील एवं जिला सीकर–332027

–अप्रार्थीगण (ऋणी/बंधककर्त्ता)

<u>The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक: 04.11.24

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री मनोज कुमार वर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः **नेशनल ऐलुमिनियम जरिए प्रो. नरेन्द्र कुमार, नरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र मुरलीधर शर्मा, हजारीलाल शर्मा पुत्र मुरलीधर शर्मा,** एव **लोकेश कुमार शर्मा पुत्र सुशील कुमार शर्मा** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में **प्रथम बंधक सम्पत्ति** अप्रार्थी **लोकश कुमार शर्मा** के स्वामित्व की **व्यावसायिक दुकान संख्या 08, सीकर–सालासर**

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

रोड़ के उत्तर में, ग्राम सेवद बड़ी, तहसील धोद, जिला सीकर, राज. में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 22.673 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में दुकान संख्या 09, पश्चिम दिशा में दुकान संख्या 07 स्वयं विक्रेता की, उत्तर दिशा में सम्पदा स्वयं विक्रेता की एवं दक्षिण दिशा में फुटपाथ छोड़कर, सीकर–सालासर रोड़ है। एवं **द्वितीय बंधक सम्पत्ति** अप्रार्थी **नरेन्द्र कुमार शर्मा** के स्वामित्व की **व्यावसायिक दुकान संख्या 09, सीकर–सालासर रोड़ के उत्तर में, ग्राम सेवद बड़ी, तहसील धोद, जिला सीकर, राज.** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 34.94 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में स्मपदा दिगर, पश्चिम दिशा में दुकान संख्या 08, उत्तर दिशा में सम्पदा स्वयं निष्पादनकर्त्ता की एवं दक्षिण दिशा में फुटपाथ छोड़कर, सीकर–सालासर रोड़ है। उक्त सम्पत्तियों को बंधक रखकर **कुल 14,00,000/– रूपये (अक्षरे रूपये चौदह लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **18.10.2023** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **18.10.2023** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः **नेशनल ऐलुमिनियम जरिए प्रो. नरेन्द्र कुमार, नरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र मुरलीधर शर्मा, हजारीलाल शर्मा पुत्र मुरलीधर शर्मा,** एव **लोकेश कुमार शर्मा पुत्र सुशील कुमार शर्मा** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में **प्रथम बंधक सम्पत्ति** अप्रार्थी **लोकश कुमार शर्मा** के स्वामित्व की **व्यावसायिक दुकान संख्या 08, सीकर–सालासर रोड़ के उत्तर में, ग्राम सेवद बड़ी, तहसील धोद, जिला सीकर, राज.** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 22.673 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में दुकान संख्या 09, पश्चिम दिशा में दुकान संख्या 07 स्वयं विक्रेता की, उत्तर दिशा में सम्पदा स्वयं विक्रेता की एवं दक्षिण दिशा में फुटपाथ छोड़कर, सीकर–सालासर रोड़ है। एवं **द्वितीय बंधक सम्पत्ति** अप्रार्थी **नरेन्द्र कुमार शर्मा** के स्वामित्व की **व्यावसायिक दुकान संख्या 09, सीकर–सालासर रोड़ के उत्तर में, ग्राम सेवद बड़ी, तहसील धोद, जिला सीकर, राज.** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 34.94 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में स्मपदा दिगर, पश्चिम दिशा में दुकान संख्या 08, उत्तर दिशा में सम्पदा स्वयं निष्पादनकर्त्ता की एवं दक्षिण दिशा में फुटपाथ छोड़कर, सीकर–सालासर रोड़ है। उक्त बंधक सम्पत्तियों का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक 04.11.24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर